फरवरी, 2017 के दौरान महत्वपूर्ण नीति निर्णय और मुख्य उपलब्धियाः

(1) परिपत्र -

दिनांक 22.02.2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 391 की उपधारा (2) के उपबंधों के दायरे को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह केवल उस विदेशी कंपनी पर लागू होगा जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII के अनुसरण में प्रोस्पेक्टस या भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति जारी किया है।

(2) अधिसूचना -

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 239 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के अधीन जारी दिनांक 28.02.2017 की अधिसूचना में अंतरित याचिका दायर करने के उद्देश्य के लिए याचिका कर्ता द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष संहिता की धारा 7, धारा 8 या धारा 9 के अधीन मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा बढाई गई है, यदि मूल याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 की शुरूआत की तारीख अर्थात् दिनांक 15.12.2016 से 60 दिनों से 6 महीनों से लंबित है।

(3) दिनांक 31.01.2017 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 के अधिकारिक संशोधनों सहित एक मसौदा कैबिनेट नोट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार के लिए परिचालित किया गया था। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई और विधायी विभाग को जांच के लिए अधिकारिक संशोधनों सहित एक संशोधित नोट भेजा गया है। इसके पश्चात् कैबिनेट में अंतिम कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया जाएगा।